

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



डासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 05/2010

द पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

हरनेक सिंह (फौत)

/ 1 भोलासिंह

/ 2 पम्मी देवी

/ 3 सुखदेव कौर

भूरासिंह पुत्र हरनाम सिंह

जाति कुम्हार सिख निवासी ढाबा हाल निवासी बठिण्डा (पंजाब)

बनाम्

- बलवीर कौर पत्नी श्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
- नत्थासिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- राजवंत सिंह पुत्र पिसरान बलवीर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- जसवीर सिंह
- जगतवन्त सिंह
- चरणजीत कौर पत्नी श्री जसवन्त सिंह जाति तरखान निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- मदन लाल पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
- कर्मपाल कौर पत्नी श्री अजायब सिंह जाति तरखान निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- धनकौर बैवा रामरख कौम कुम्हार सिख निवासी साबुआना तहसील टिब्बी।
- ओबीसी बैव शाखा ढाबां
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 5.3.2016

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे
बहाजरी श्री वकील वादीगण मिन जामिन मुदई राजेश बुढानियां वकील प्रति. 6, 8 मिन जानिब
मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक
अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 9 बीजीपी-ए

- अमरजीत कौर पत्नी जगदीश सिंह जाति कुम्हार साकिन ढाबा खातेदार

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|--------------|
| 191/143 | 55 | 21, 22/0.506 |
| 191/144 | 66 | 1, 2/0.506 |

- कर्मपाल कौर पत्नी अजायब सिंह जाति तरखान साकिन ढाबा खातेदार

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|----------|
| 190/144 | 67 | 15/0.253 |

- चरणजीतकौर पत्नी जसवन्त सिंह जाति तरखान साकिन ढाबा खातेदार

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|--------------|
| 190/143 | 54 | 24, 25/0.506 |

महाश्व. कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जसवीर सिंह, राजवन्त सिंह, जगवन्त सिंह पुत्र बलवीर सिंह बहिब जाति तरखान सा.ढाबा खातेदार

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|--------------|
| 190/144 | 67 | 3 ता 8/1.518 |

5. बलवीर कौर पत्नी अजमेर सिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा खातेदार राहिन 3.530 है. राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा संगरिया खातेदार

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|---|
| 191/144 | 66 | 7 ता 10/1.012, 11 ता 14/1.012, 18,19,20/0.759, 23,24,25/0.759 |

6. जसवन्त सिंह, मखन सिंह, अजायब सिंह पि. बख्तावर सिंह बहिब जाति तरखान सा.ढाबा खातेदार

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|--------------|
| 191/144 | 66 | 16,17/0.506, |

7. मदनलाल पुत्र मुखराम जाति जाट सा.ढाबा खातेदार

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|----------|
| 192/144 | 65 | 21/0.202 |




अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/558 दिनांक 02.02.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....5.3.2026.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया